न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 117/2019

1. देना बैंक शाखा दौसा अब बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी गोविन्द प्रसाद गुप्ता

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स माधुरी सारीज एवं फैशन, श्री कमल कुमार खण्डेलवाल पता— मानगंज, स्टेशन रोड दौसा (राजस्थान)
2. श्री सतीश चन्द खण्डेलवाल पता— 306,भारती भवन, वार्ड नं0 14, भरतपुर (राजस्थान)
3. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल पता— मानगंज, स्टेशन रोड़ दौसा (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री खरग सिंह, प्रार्थी बैंक की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि।

<u>आदेश</u> दिनांकः 26.8..2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी देना बैंक शाखा दौसा अब बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी मैसर्स माधुरी सारीज एवं फैशन, श्री कमल कुमार खण्डेलवाल पता— मानगंज, स्टेशन रोड दौसा (राजस्थान) को 20,00,000/—(रूपये बीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि देना बैंक शाखा दौसा अब बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी देना बैंक शाखा दौसा अब बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी देना बैंक शाखा दौसा अब बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति खसरा नम्बर 1458 मानगंज के पास, नाटानी मोहल्ला दौसा में स्थित प्लाट क्षेत्रफल 55.55 वर्गगज जो श्याम सुन्दर खण्डेलवाल उर्फ मंगतूराम पुत्र श्री बोदूलाल खण्डेलवाल के नाम है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी देना बैंक शाखा दौसा अब बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official